"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जून 2010—आषाढ़ 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/38/2010/वाक/पांच (54).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों को, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के प्रावधानों के क्रियान्वयन से, कॉलम (3) में दिए गए निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

व्यापारी का नाम (1)	धारा जिसके क्रियान्वयन से छूट दी गई (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिसके अध्याधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (3)
(i) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि.	धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)	यदि कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारी दिनांक 31-03-2009 को अथवा उसके पूर्व अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के व्यापार, जिसके वे, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अपेक्षित प्रावधान के अनुसार, अंतरिती है, ऽ अन्तरण दिनांक के 90 दिवस

(1)	(2)	(3)
(iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि.		के भीतर, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 16 के अधीन सक्षम प्राधिकारी से पंजीयन प्राप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक एफ-10/38/2010/वाक/पांच (54).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/38/2010/वाक/पांच (54), दिनांक 29-06-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 29th June 2010

NOTIFICATION

No. F-10/38/2010/CT/V (54).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, the dealers specified in column (1) of the Schedule below from the operation of the provisions of the section specified in column (2), subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Act :—

SCHEDULE

Name of dealer	Section(s) from the operation of which exemption is granted	Restrictions and conditions, subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)
(i) Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd. (ii) Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. (iii) Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd.	Clause (b) of sub-section (2) of Section 16.	If the dealers specified in column (1) obtaining registration, from appropriate authority, under section 16 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) on or before 31st March, 2009 or within 90 days, from the date of transfer of the business of M/s. Chhattisgarh State Electricity Board, which they are transferee, as required provision of sub-section (1) of section 30 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.